न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2025/781**
दायरा तिथि : 22.12.2025
आदेश तिथि : 23-02-2026

प्रार्थी :–

1.नंदनिया भीमशी पुत्र नागाभाई जाति अहीर
2.बालु बाला भाई सामला पुत्र काला भाई जाति रेबारी तमाम उम्र से वयस्क निवासीगण वेरावल गीर, सोमनाथ रामापीर मंदिर भोजदे शासन गुजरात

ब ना म

अप्रार्थी :–

1.राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली
2. कसनाराम पुत्र धरमाराम
3. देवाराम पुत्र सामती राम
4. भीखाराम पुत्र धरमाराम

तमाम उम्र से वयस्क जातिगण रेबारी निवासीगण दुदणी बाहरी क्षेत्र तहसील बाली जिलापाली राजस्थान

5. चेनाराम पुत्र भीखाराम
   अ. आशुराम पुत्र स्व. चेनाराम
   ब. रमेश कुमार पुत्र स्व. चेनाराम
6. छोकाराम उर्फ पुत्र भीखाराम उम्र से वयस्क जातिगण की निवासीगण दुदनी बाहरी क्षेत्र तहसील बाली जिला पाली(राज)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांकः 23-02-2026

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 749/346 रकबा 0.1575 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 377 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नंबर 380 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 360 रकबा 2.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 363/698 रकबा 0.3000 हैक्टर व अप्रार्थीगण की भूमि दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 362/787 रकबा 0.3600 हैक्टर व खसरा नंबर 365 रकबा 0.2200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बिसलपुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है, लेकिन पास ही स्थित अन्य खसरा नम्बरान की भूमि में चल रहे रास्ते से आना जाना करता है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का नही है इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। जिसे उक्त रिपोर्ट में आगे प्रस्तावित किया गया है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/781

अनवान नंदानीया बनाम तहसीलदार बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	दुदनी बाहरी	346/711	0.13	बारानी सोयम	46X09=414 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	दुदनी बाहरी	336/709	0.35	बारानी सोयम	89X09=801 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
3	दुदनी बाहरी	336/708	0.90	गै.मु. मगरी	194X09=1746 वर्गमीटर	राजस्थान सरकार
4	दुदनी बाहरी	336	0.71	बा.सो	9X09=81 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
5	दुदनी बाहरी	740/335	5.53	गै.मु. पहाड	200X09=1800 वर्गमीटर **नोट– उक्त खसरे में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि पहाडी के रूप में अवस्थित है। खसरे के किनारे पक्के मकान स्थित होने से प्रस्तावित रास्ता खसरे को दो भागों में विभाजित भी करता है, जो संलग्न नक्शें में दर्शाया गया है।**	राजस्थान सरकार

[illegible] उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

<u>अन्य विकल्प–1</u>

1. आवेदक की भूमि मे मौके पर आने जाने हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध है, जो निम्नानुसार है

क्र. स.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	दुदनी बाहरी	346/711	0.13	बारानी सोयम	09X09=81 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	दुदनी बाहरी	340	0.35	बा.सो	59X09=531 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
3	दुदनी बाहरी	338	0.93	बा.सो	142X09=1278 वर्गमीटर	राजस्थान सरकार
4	दुदनी बाहरी	346/710	0.18	बा.सो	48X9=432 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
	योग				2322 वर्ग मीटर	

2.यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/781
अनवान नंदानीया बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अन्य विकल्प–2

1. आवेदक की भूमि मे मौके पर आने जाने हेतु एक अन्य विकल्प उपलब्ध है, जो मौके पर चल रहा है, निम्नानुसार है–

क्र. स.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	दुदनी बाहरी	377	0.54	बारानी सोयम	110X09=990 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
2	दुदनी बाहरी	380	1.25	बारानी सोयम	240X09=2160 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
3	दुदनी बाहरी	360	2.06	गै.मु. पहाड	110X09+20 X 9+20 X 9 =1350वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
4	दुदनी बाहरी	346/715	0.18	बारानी सोयम	10X9=90 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
5	दुदनी बाहरी	346	5.34	गै.मु. पहाड	30X9=270 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
6	दुदनी बाहरी	361	0.16	बारानी सोयम	85X9=765 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
7	दुदनी बाहरी	365	0.22	बारानी सोयम	40X9=360 वर्गमीटर	खातेदारी भूमि (चेना पुत्र भीखा हिस्सा 1/2 जाति कीर छोका पुत्र भीखा हिस्सा 1/2 जाति कीर सा0 देह खातेदार)

2. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।
3. खसरा न. 336, 336/708, 336/709, व 346/711, 340, 338, 346/710, 380, 360, 361, 365, 346, 346/715 की प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 240000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. खसरा न. 740/335,377 की प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 300000/– रूपये प्रति हैक्टर है।

उप - खण्ड अधिकारी जिला - पाली (राज.)

प्रकरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में निजी खातेदार खसरा नंबर 362/787 के खातेदारान को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। अप्रार्थी कसनाराम व भीकाराम की ओर से वकील श्री विजेन्द्रसिंह देवडा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। खसरा नंबर 365 के निजी खातेदार अप्रार्थी संख्या 05 का नोटिस फौत की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने पर प्रार्थी के अधिवक्ता के कामु प्रार्थना पत्र पर मृत अप्रार्थी संख्या 05 के कामु को रेकर्ड पर लेते हुये नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 05 के वारिसान को जारी नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रॉपर तामील माने जाते है। अप्रार्थी संख्या 05 के कामु आदिनांक तक वकालतन/असालनत अनुपरिथत रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसी के साथ ही अप्रार्थी संख्या 06 बावजूद नोटिस के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसके साथ ही निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 362/787 में से किसी प्रकार का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का हित उक्त प्रकरण में प्रभावित नहीं होने से इनकी आपत्ति के लिये प्रकरण को लंबित रखना भी न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 90 रकबा 0.3400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा ने मौका स्थिति की जांच के पश्चात तीन विकल्प दर्शाये है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/781

अनवान नंदानीया बनाम तहसीलदार बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

आवेदित मार्ग – इस रूट में रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि यद्यपि राजकीय सिवायचक भूमि है। परंतु इस रूट में वर्णित खसरा नंबर 740/335 की भूमि मौके पर पहाडी के रूप में स्थित होना तथा खसरे के किनारे पक्के मकान होने से प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 740/335 को दो भागों में विभाजित करता है जिससे उक्त रूट से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अन्य विकल्प संख्या 01 –इस रूट में खसरा संख्या 340, 338, 346/710 निजी खातेदारी भूमियां है, जिनके खातेदारान् भी संख्या में अधिक है, अतः यदि इस रूट से रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो रास्ता स्वीकृति से पुर्व इन खसरा नम्बरान् के खातेदारो को श्रवण किए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जिससे प्रार्थीगण के रास्ते के लिये प्रस्तुत उक्त समरी प्रोसिडिंग्स के प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होगा, जबकि विधिक प्रावधानो के अनुसार ऐसे प्रकरणो को अधिकतम 90 दिवस की अवधि में निस्तारण के आज्ञाप्क प्रावधान हैं। जिससे विकल्प संख्या–01 के वर्णित रूट से भी रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

अन्य विकल्प संख्या 02 –इस रूट में यद्यपि रास्ते के तौर पर उपयोग के लिये संपुर्ण राजकीय सिवाय चक भूमि के खसरा नंबर प्रस्तावित किये है, परन्तु उक्त रास्ता के मार्ग में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार की पहाडी या पक्का निर्माण नहीं है, तथा साथ ही निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 365 के खातेदारान् को नोटिस जारी कर दिये है तथा खातेदार बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है। जिससे विकल्प संख्या–02 के अनुसार धारा 251 के तहत नया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्याय संगत हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 749/346 रकबा 0.1575 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 377 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नंबर 380 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 360 रकबा 2.0600 हैक्टर, खसरा नंबर 346/715 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 346 रकबा 5.34 हैक्टर, खसरा नंबर 361 रकबा 0.16 हैक्टर व अप्रार्थीगण की भूमि दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 365 रकबा 0.2200 हैक्टर में से **990+2160+1350+90+270+765+360=5985** **वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 3,00,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
377	0.54	110X09=990 वर्गमीटर	30	29700X2=59400	राजकीय सिवायचक भूमि
380	1.25	240X09=2160 वर्गमीटर	30	64800X2=129600	राजकीय सिवायचक भूमि
360	2.06	110X09+20 X 9+20 X 9 =1350वर्गमीटर	30	40500X2=81000	राजकीय सिवायचक भूमि
346/715	0.18	10X9=90 वर्गमीटर	30	2700X2=5400	राजकीय सिवायचक भूमि
346	5.34	30X9=270 वर्गमीटर	30	8100X2=16200	राजकीय सिवायचक भूमि
361	0.16	85X9=765 वर्गमीटर	30	22950X2=45900	राजकीय सिवायचक भूमि
365	0.22	40X9=360 वर्गमीटर	30	10800X2=21600	खातेदारी भूमि (चेना पुत्र भीखा हिस्सा 1/2 जाति कीर छोका पुत्र भीखा हिस्सा 1/2 जाति कीर सा0 देह खातेदार)

उपखण्ड अधिकारी ... पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/781

अनवान नंदानीया बनाम तहसीलदार बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 359100/– (अक्षरे तीन लाख उनसठ हजार एक सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिलीप बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

दिनांक : 10-3-2026

क्रमांक/कोर्ट/2026/ 391–395

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक नंदनिया भीमशी पुत्र नागाभाई जाति अहीर निवासीगण वेरावल गीर, सोमनाथ रामापीर मंदिर भोजदे शासन गुजरात को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

ग्राम - उदनी

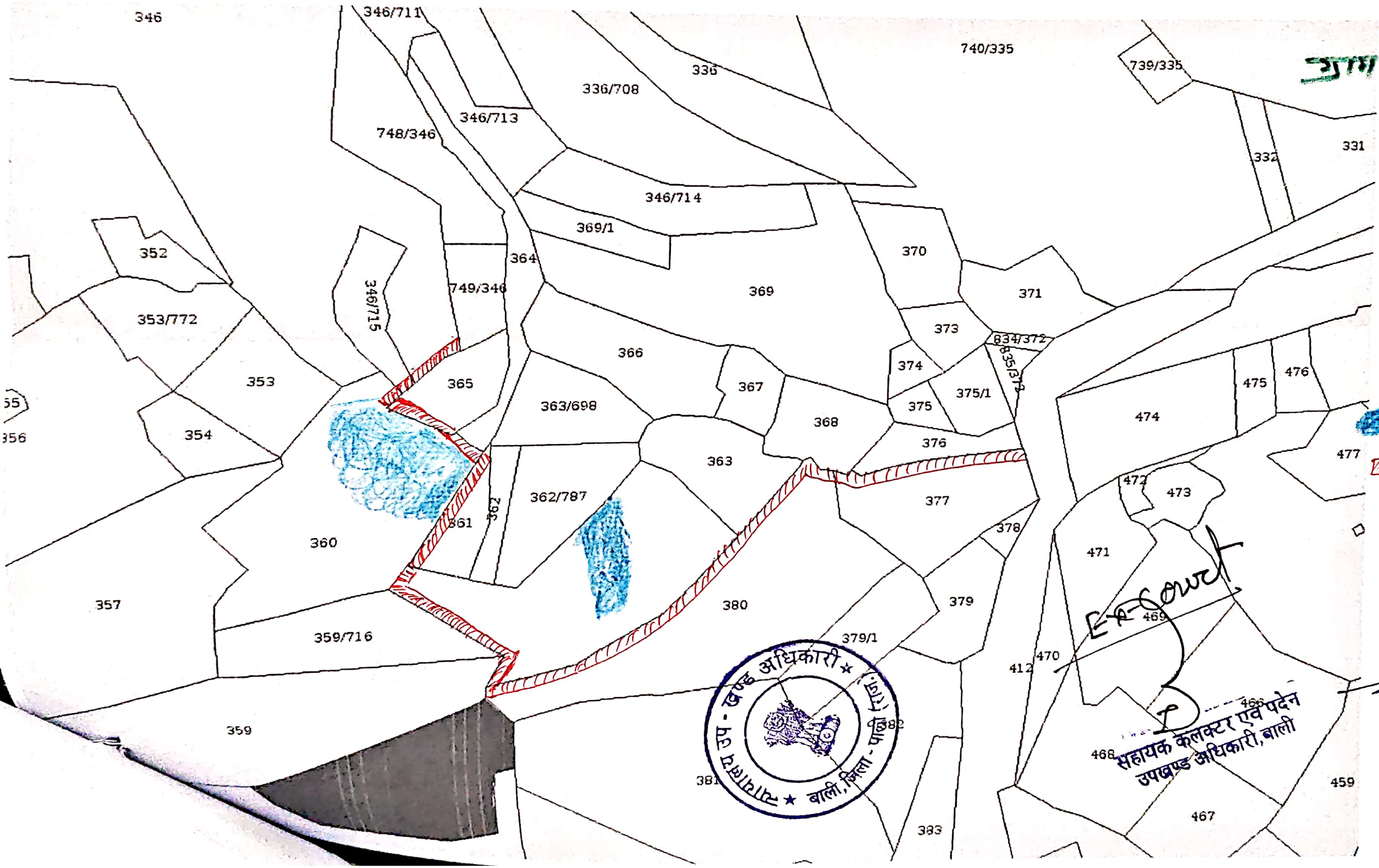

- पहाड
- प्रस्तावित रास्ता (अन्य विकल्प-2)

Scanned with OKEN Scanner